(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 48 /2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक : 16 दिसम्बर, 2015

विषय : प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैराग्राफ 4.76 में संशोधन।

समय–समय पर यथासंशोधित विदश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशक एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैराग्राफ 4.76 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

2. उक्त पैरे के अंतिम वाक्य में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया गया है, जो इस प्रकार हैः–

मौजूदा वाक्य :

''जीजेईपीसी की निरीक्षण रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर संबंधित प्रयोगशाला को विदेष व्यापार नीति के पैरा 4.43 में शामिल करने हेतु विचार किया जाएगा।''

संषोधित वाक्य :

''जीजेईपीसी की निरीक्षण रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर संबंधित प्रयोगशाला को विदेश व्यापार नीति के पैरा **4.42** अथवा 4.43 में, **जैसा भी मामला हो,** शामिल करने हेतु विचार किया जाएगा।''

3. इस अधिसूचना का प्रभाव :

इस संशोधन के साथ प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैराग्राफ 4.76 में विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैराग्राफ 4.42 में दर्शाई गई प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध करने/अधिकार–पत्र हेतु आवेदनों की प्रक्रिया हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी शामिल की जाएगी।

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/94/180/52/एएम 16/पीसी–4 से जारी)